न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 1515 दिनांक – 18.7.2018

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 रहीमों पत्नी दला जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 नजीरा पुत्र गाजी 2 अकली पत्नी नजीरा 3 इसाक 4 शकूर पिसरान शाकरखां जाति मुसलमान निवासी चौखला तहसील बायतु 5 लखमीरखां पुत्र लाधूखां 6 सली पत्नी अलीम 7 अमना पुत्र हलीम 8 सतबाई पत्नी दीलबर 9 ईशाक 10 ईशान 11 अनवर 12 जमाल पिसरान मीरा 13 मोहम्मद पुत्र सोढा जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील बाडमेर 14 हमीर खां 15 मीरखां पिसरा लाधू खां 16 नसीर पुत्र भंगेखां जाति मुसलमान निवासी छीतर का पार तहसील व जिला बाडमेर 17 अकबर 18 मजीद पिसरान जलाल जाति मुसलमान निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–441/2018 दिनांक–18.07.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 567/413 रकबा 05.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2018/ 1516–1519 दिनांक– 18.7.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रहीमों पत्नी दला जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी नजीरा पुत्र गाजी वगैराह जाति मुसलमान निवासी चौखला तहसील बायतु तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर